(7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : पार्थवी, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 14 / 16

GCMS id : 2016 / 00187

1. राजेश बाई पत्नी स्व. बनवारीलाल, जाति वैष्णव, निवासी चारणहेडी हाल निवासी गन्दीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. महावीर पुत्र स्व. बनवारीलाल, (नाबालिग जर्ये वली माता राजेश बाई) जाति वैष्णव, निवासी चारणहेडी हाल निवासी गन्दीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादीगण)

बनाम

1–2. घनश्याम, रामकुंवार पुत्रान बजरंगदास, जाति वैष्णव, निवासी ग्राम चारणहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

3–7. बाबूलाल, लक्ष्मण, श्याममुरारी, जुगराज, संजय पुत्रान जमनालाल, जाति वैष्णव, निवासीगण ग्राम चारणहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

8–9. कन्या बाई, द्वारकी बाई पुत्रियां जमनालाल, जाति वैष्णव, निवासीगण ग्राम चारणहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

10–12 बंकट बिहारी, बाबूलाल, चन्द्रप्रकाश पुत्रान रामनारायण, जाति वैष्णव, निवासीगण ग्राम चारणहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

13–16 काली बाई, गीता बाई, कान्ति बाई, मन्जू बाई पुत्रियां रामनारायण, जाति वैष्णव, निवासीगण ग्राम चारणहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

17–19 गोविन्द, गोपाल, जगदीश पुत्रान रामरतन, जाति वैष्णव, निवासीगण ग्राम चारणहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

20–21 रिंकू, मनोज पुत्रान किशन, जाति वैष्णव, निवासीगण ग्राम चारणहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

22. सुमन पुत्री किशन, जाति वैष्णव, निवासीगण ग्राम चारणहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

23. अमरकलां पत्नी किशन, जाति वैष्णव, निवासीगण ग्राम चारणहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (अप्रार्थीगण)

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट</u>
<u>बाबत विभाजन आराजी</u>

उपस्थिति : श्री राकेश सुवालका, अभिभाषक वादीगण
श्री महावीर सेन, अभिभाषक प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

निर्णय

दिनांक : 29.04.2022

1- वादिनी की ओर से जर्ये अभिभाषक एक दावा अन्तर्गत धारा 88.89.53.188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत प्रदान करने खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा, पेश किया गया।

2- *वादिनी द्वारा अपने वादपत्र अन्तर्गत 88,89,53,188 R.T.A. में निवेदन किया गया कि –*

≈ ग्राम चारणहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 57, 58, 59, 60, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 362, 365कुल किता 14 रकबा 5.80 हैक्टर स्थित है।

≈ उपरोक्त आराजी पूर्व में स्व. बजरंगदास जी की थी जो उनके जीवनकाल के बाद रामनारायण, घनश्याम, रामकुंवार, जमनालाल, रामरतन को हक हिसासत में प्राप्त हुई है। इनमें से, स्व. जमनालाल जी की मृत्यु के दौरान उनके पुत्र बाबूलाल, लछमन, श्याम मुरारी, जुगराज, संजय, पुत्री कन्या बाई एवं पत्नी द्वारकी बाई मौजूद है। स्व. जमनालाल के एक पुत्र बनवारीलाल भी थे, जिसकी स्व. जमनालाल के जीवनकाल में ही मृत्यु हो चुकी थी। वादिनी स्व. बनवारीलाल की पत्नी एवं वादी क्रम 2 नाबालिग पुत्र है।

Parthvi
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

(8)

≈ स्व. बनवारीलाल की, स्व. जमनालाल के जीवनकाल में ही मृत्यु हो जाने से, स्व. जमनालाल का फोती नामान्तरकरण खोलने के दौरान न तो बनवारीलाल का और न ही बनवारीलाल के वारिसान का नाम लिखा गया।

≈ इसके कारण वर्तमान में जमाबन्दी में वादीगण का नाम नहीं होने से वादीगण को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

≈ अतः निवेदन है कि वादीगण को भी विवादित आराजी में वादीगण का नाम दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती व विभाजन किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

3- *दौराने वाद वादिगण एवं स्व. जमनालाल कि समस्त वारिसान ने न्यायालय में उपस्थित होकर 500/– रूपये के स्आम्प पर तैयार नोटरी पब्लिक से प्रमाणित राजीनामा पेश किया – राजीनामा के कथन में सक्षेप में इस प्रकार है –*

~ स्व. जमनालाल आत्मज भैरूदास जी के संयुक्त खातेदारी की ग्राम चारणहेडी की आराजी खसरा नम्बर 57,58,59,60,270,271,272,273,274,275,276,277,362,365 कुल किता 14 रकबा 5.58 हैक्टर आराजी स्थित थी, जिसमें स्व. जमनालाल जी का 1/5 हिस्सा निहित था।

~ स्व. जमनालाल जी के 6 पुत्र व एक पुत्री थी। इनमें से एक पुत्र स्व. बनवारीलाल का स्वर्गवास हो चुका है। वादीगण हमारे भाई स्व. बनवारीलाल की पत्नी व पुत्र है।

~ इस प्रकार स्व. जमनालाल जी के प्रत्येक वारिस का उक्त आराजी 1/35 हिस्सा निहित है।

~ स्व. जमनालाल जी के स्वर्गवास के बाद राजस्व कर्मचारियों ने उनके मृतक पुत्र के वारिसान का नाम दर्ज नहीं किया। इसकी अप्रसन्नता से वादीगण ने न्यायालय में दावा कर रखा है।

~ यह कि उपरोक्त विवादित आराजी में कुछ आराजी भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत अधिग्रहित की गई परन्तु विवादित आराजी पर स्थगन होने के कारण मुआवजा रूका हुआ है।

~ इस कारण स्व. जमनालाल जी के समस्त वारिसान व वादीगण निम्नानुसार राजीनामा कर रहे है कि –

~ भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत अधिग्रहित की गई आराजी में से 1/35 हिस्सा वादीगण को तथा शेष 6/35 हिस्सा स्व. जमनालाल जी के अन्य वारिसान का रहेगा।

~ अधिग्रहण उपरान्त शेष रहा आराजी में भी वादीगण का 1/35 हिस्सा निहित रहेगा।

4- उक्त राजीनामा पेश कर उभयपक्षकारान ने राजीनामा अनुसार दावे का निस्तारण किया गया। प्रत्येक पक्षकार द्वारा अपनी अपनी पहचान के दस्तावेज पेश किये जिनका मूल दस्तावेजात से मिलान किया गया। राजीनामा पर सभी पक्षकारान की सहमति बाबत जानकारी प्राप्त कर गई। अतः राजीनामा तस्दीक किया जाता है। अतः राजीनामानुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण को ग्राम चारणहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 57, 58, 59, 60, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 362, 365 कुल किता 14 रकबा 5.58 हैक्टर में 1/35 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर जमाबन्दी में अंकित द्वारकी बाई का नाम विलोपित (हटाये) जाने तथा राजस्व अभिलेख में वादीगण का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

5- निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 29 अप्रेल, 2022 को मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Parthvi

(पार्थवी)

सहायक कलक्टर

(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

<u>पीठासीन अधिकारी : पार्थवी, R.A.S.</u>

<u>बउनवान –</u>

1. राजेश बाई पत्नी स्व. बनवारीलाल, जाति वैष्णव, निवासी चारणहेडी हाल निवासी गन्दीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. महावीर पुत्र स्व. बनवारीलाल, (नाबालिग जर्ये वली माता राजेश बाई) जाति वैष्णव, निवासी चारणहेडी हाल निवासी गन्दीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा – **(वादीगण)**

बनाम

1–2. घनश्याम, रामकुंवार पुत्रान बजरंगदास, जाति वैष्णव, निवासी ग्राम चारणहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

3–7. बाबूलाल, लक्ष्मण, श्याममुरारी, जुगराज, संजय पुत्रान जमनालाल, जाति वैष्णव, निवासीगण ग्राम चारणहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

8–9. कन्या बाई, द्वारकी बाई पुत्रियां जमनालाल, जाति वैष्णव, निवासीगण ग्राम चारणहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

10–12 बंकट बिहारी, बाबूलाल, चन्द्रप्रकाश पुत्रान रामनारायण, जाति वैष्णव, निवासीगण ग्राम चारणहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

13–16 काली बाई, गीता बाई, कान्ति बाई, मन्जू बाई पुत्रियां रामनारायण, जाति वैष्णव, निवासीगण ग्राम चारणहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

17–19 गोविन्द, गोपाल, जगदीश पुत्रान रामरतन, जाति वैष्णव, निवासीगण ग्राम चारणहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

20–21 रिंकू, मनोज पुत्रान किशन, जाति वैष्णव, निवासीगण ग्राम चारणहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

22. सुमन पुत्री किशन, जाति वैष्णव, निवासीगण ग्राम चारणहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

23. अमरकलां पत्नी किशन, जाति वैष्णव, निवासीगण ग्राम चारणहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

24.. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा – **(अप्रार्थीगण)**

दावा बाबत : 88, 89,53,188 RTA
मुकदमा नम्बर : 14 / 16
निर्णय दिनांक : 29-04-2022

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री रामरतन मीणा एवं प्रतिवादी अभिभाषक श्री घनश्याम नागर की उपस्थिति में पेश राजीनामा अनुसार आज तारीख <u>29–04–2022</u> को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी <u>श्री पार्थवी, आर.ए.एस.</u> के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर राजीनामानुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण को ग्राम चारणहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 57, 58, 59, 60, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 362, 365 कुल किता 14 रकबा 5.58 हैक्टर में 1/35 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर जमाबन्दी में अंकित द्वारकी बाई का नाम विलोपित (हटाये) जाने तथा राजस्व अभिलेख में वादीगण का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह अन्तिम डिक्री आज तारीख 29.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाई और टंकित करवाई जाकर मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

[signature]
(पार्थवी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
		रूपया			रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	